State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)
Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

सत्यमेव जयते

No.: 2389 /SEIAA/ 22
Date : 20/12/22

प्रति,

मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर
पार्टनर श्री विशम्भर दयाल,
निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला,
भरतनगर, राजस्थान

विषयः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/240884/2021 - प्रकरण क्र. 6400/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रथम तीन वर्ष एवं 41610 घनमीटर अगले दो वर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 4173, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतपुर, राजस्थान के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत्।

संदर्भः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रथम तीन वर्ष एवं 41610 घनमीटर अगले दो वर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 4173, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतपुर, राजस्थान के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. नवीन परियोजना मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतपुर, राजस्थान द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 906 दिनांक 15.06.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की प्रति प्रस्तुत की गई।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति प्रस्तुत की गई।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 17384–86 दिनांक 25.09.2019 (शेष अवधि 14.02.2029 तक) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्र. 10222 दिनांक 25.02.2022 द्वारा लेख किया गया है कि उक्त उत्खननपट्टा क्षेत्र में पूर्व पर्यावरण अनुमति पश्चात् भू–प्रवेश न होने से आज दिनांक तक खदान कार्यशील नहीं है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 747वी बैठक दिनांक 14.09.2022 में प्रकरण का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"............ राज्य स्तरीय समाघात निर्धारिण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरित ना किये जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसके संबंध में SEIAA द्वारा 714वी बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 के निर्णयानुसार पूर्व परियोजना प्रस्तावक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया था। लेकिन पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः कलेक्टर जिला ग्वालियर से उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित अनापत्ति प्राप्त की जाये कि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरूकृपा स्टोन क्रेशर के नाम किया जा सकता है अथवा नहीं। तदानुसार प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। नवीन परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्र. 11758 दिनांक 09.10.2022 के माध्यम से उपरोक्त निर्णयानुसार स्पष्ट अभिमत सहित पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 906–07/SEIAA/2020 दिनांक 15.06.2020 के माध्यम से श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रथम तीन वर्ष एवं 41610 घनमीटर अगले दो वर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 4173, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतपुर, राजस्थान (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 15.06.2020 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 17384–86 दिनांक 25.09.2019 अनुसार दिनांक 14.02.2029 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

<u>अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित</u>

20/10
o/c (मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

क्र.. 2390 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक : 20/12/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र)।
10. खनिज अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी